(151)

सख्या Tc/15/XXIV(6)/2011

प्रेषक,

वेदीराम,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमांऊ विश्वविद्यालय,
नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक25अगस्त, 2011

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्याः केयू/लेखा/बजट/2011–12/209 दिनांक 12,जुलाई–2011 एवं पत्र संख्या : केयू/लेखा/बजट–2011–12/239 दिनाक 01,अगस्त 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आलोच्य वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आय–व्यय के **आयोजनेत्तर पक्ष** में प्राविधानित धनराशि ₹ 19,00,00,000.00 (₹उन्नीस करोड़ मात्र) में से कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कार्मिकों को वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु पूर्व में ही प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या : टीसी 15/xxiv(6)/2011 दिनांक 12,मई 2011 द्वारा ₹ 4,50,00,000.00 की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस धनराशि का पूर्ण उपयोग करने के उपरान्त विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार आगामी माहों हेतु कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त के रूप में **₹ 4,50,00,000.00 (₹ चार करोड़ पच्चास लाख मात्र)** की धनराशि निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किश्तों में किया जायेगा । इस अनुदान के बिल पर जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगें ।

(2) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो ।

(3) **स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वेतन के साथ अनुमन्य हों, हेतु ही भुगतान किया जायेगा ।** अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।

(4) जिन कार्मिकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जीपीएफ की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकीय कोषागार में नियमित रूप से जमा कराया जाये, उसे अन्यत्र जमा न किया जाये

(5) इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित पदों, मदों पर ही किया जायेगा । अस्थायी रूप से इसका कोई भी भाग अन्य अनानुमोदित पदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, मानदेय कार्यो एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा ।

(6) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनेत्तर–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–03–कुमांऊ विश्वविद्यालय–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा ।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 17 (NP)/xxvii(3)/2011–12 दिनांक 24,अगस्त–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(वेदीराम)
अनु सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या : 1ट(1)-15/XXIV(6)/2011 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
6. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन ।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव ।